



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939

No. 461] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/AGRAHAYANA 16, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2017

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी./21.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवार निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 हैं।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों और परिवारों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "व्यथित व्यक्ति" से ऐसा पणधारी अभिप्रेत है, जिसने संबंधित सेवा प्रदाता से अपनी शिकायत का निवारण कराने में असफल होने पर बोर्ड के समक्ष कोई शिकायत फाइल की है;

(ख) "सहयुक्त व्यक्ति" व्यक्ति से किसी सेवा प्रदाता का स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, अधिकारी या कोई कर्मचारी, किसी सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कोई वृत्तिक या मूल्यांकक अथवा किसी सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (ग) “बोर्ड” से संहिता की धारा 188 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;
- (ङ) “परिवाद” से किसी पणधारी द्वारा की गई ऐसी लिखित अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें किसी सेवा प्रदाता या उसके किसी सहयुक्त व्यक्ति द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या निदेशों के उल्लंघन का अभिकथन किया गया हो और इसके अंतर्गत परिवाद-सह-शिकायत भी है;
- (च) “परिवाद-सह-शिकायत” से एक ही मामले में कोई परिवाद और शिकायत अभिप्रेत है;
- (छ) “परिवादी” से ऐसा पणधारी अभिप्रेत है, जिसने बोर्ड के समक्ष कोई परिवाद या परिवाद-सह-शिकायत फाइल की है;
- (ज) “शिकायत” से किसी पणधारी द्वारा किसी सेवा प्रदाता या उसके सहयुक्त व्यक्तियों के आचरण के कारण हुई अपनी पीड़ा की कोई लिखित अभिव्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) “सेवा प्रदाता” से कोई दिवाला वृत्तिक अभिकरण, दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक इकाई या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अभिप्रेत है;
- (ञ) “पणधारी” से ऐसा ऋणी, लेनदार, दावाकर्ता, सेवा प्रदाता, समाधान आवेदक और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका संहिता के अधीन दिवाला, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन या शोधन अक्षमता संव्यवहार में कोई हित है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो संहिता में उनके हैं।

अध्याय 2

शिकायत और परिवाद का फाइल किया जाना

3. शिकायत और परिवाद का फाइल किया जाना

- (1) ऐसा पणधारी, जो कोई शिकायत फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष फाइल करेगा।
- (2) किसी शिकायत में निम्नलिखित वर्णन होगा:-
- व्यथित व्यक्ति की पहचान का विवरण;
 - सेवा प्रदाता की पहचान का विवरण;
 - सेवा प्रदाता के उस आचरण का विवरण जिसके कारण व्यथित व्यक्ति को पीड़ा कारित हुई;
 - उस पीड़ा का विवरण, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, जो व्यथित व्यक्ति को हुई है;
 - सेवा प्रदाता के आचरण से व्यथित व्यक्ति को किस प्रकार पीड़ा कारित हुई;
 - सेवा प्रदाता से शिकायत का निवारण कराने के उसके प्रयत्नों का विवरण और सेवा प्रदाता का प्रत्युत्तर, यदि कोई है, समाधानप्रद क्यों नहीं है; और
 - शिकायत का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है।
- (3) ऐसा पणधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे संदत्त दो हजार पांच सौ रुपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी।
- (4) यथास्थिति, कोई शिकायत या परिवाद, शिकायत या परिवाद के लिए वाद-हेतुक उत्पन्न होने के पैंतालीस दिनों के भीतर फाइल किया जाएगा:

परन्तु कोई शिकायत या परिवाद उपर्युक्त अवधि के पश्चात् फाइल किया जा सकेगा, यदि विलंब को न्यायोचित ठहराने वाले पर्याप्त कारण मौजूद हैं किन्तु ऐसी अवधि 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई शिकायत या परिवाद बोर्ड के समक्ष आनलाइन फाइल किया जाएगा:

परन्तु कोई शिकायत या परिवाद complaintsandgrievances@ibbi.gov.in पर मेल द्वारा या जब तक बोर्ड शिकायतों और परिवादों को आनलाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान नहीं करता, तब तक बोर्ड के कार्यालय में डाक अथवा दस्ती फाइल किया जाएगा।

4. पणधारी की पहचान

(1) कोई शिकायत या परिवाद फाइल करने वाला पणधारी, यथास्थिति, शिकायत या परिवाद में अपनी पहचान और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की, जो उसे फाइल करने के लिए प्राधिकृत है, पहचान प्रकट करेगा।

(2) यथास्थिति, कोई शिकायत या परिवाद फाइल करने वाला पणधारी, बोर्ड से अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकेगा और उस दशा में बोर्ड उसे तब तक गोपनीय रखेगा जब तक उसका प्रकट किया जाना किसी विधि के अधीन शिकायत या परिवाद की प्रक्रिया के लिए आवश्यक न हो।

5. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(1) जहां बोर्ड को एक ही विषय पर एक से अधिक शिकायतें या एक से अधिक परिवाद प्राप्त होते हैं वहां वह ऐसी शिकायतों या ऐसे परिवादों को, उनका एक साथ निपटारा करने के लिए, मिला सकेगा।

(2) बोर्ड प्रत्येक शिकायत और प्रत्येक परिवाद को, उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर एक अभिन्न रजिस्ट्रीकरण संख्यांक समनुदेशित करेगा और उक्त रजिस्ट्रीकरण संख्यांक व्यथित व्यक्ति या परिवादी को संसूचित करेगा।

(3) बोर्ड किसी अनाम शिकायत या परिवाद पर कोई संज्ञान नहीं लेगा।

अध्याय 3

शिकायत का निवारण

6. शिकायत का निवारण

(1) बोर्ड यह विनिश्चित करने के लिए कि शिकायत का सेवा प्रदाता से निवारण कराना अपेक्षित है अथवा नहीं, व्यथित व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी और अभिलेख तथा संबंधित सेवा प्रदाता से जानकारी और अभिलेख की ईप्सा कर सकेगा।

(2) व्यथित व्यक्ति और सेवा प्रदाता, उप-विनियम (1) के अधीन ईप्सित जानकारी और अभिलेख उसके पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि शिकायत का निवारण अपेक्षित नहीं है तो बोर्ड, शिकायत प्राप्त होने से पैंतालीस दिनों के भीतर उसे बन्द कर देगा।

(4) यदि शिकायत का निवारण अपेक्षित है तो बोर्ड, सेवा प्रदाता को उसकी प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर निवारण करने का निदेश देगा।

अध्याय 4

परिवाद का निपटारा

7. परिवाद का निपटारा

(1) बोर्ड प्रथमदृष्टया अपनी यह राय बनाने के लिए कि परिवाद में अभिकथित उल्लंघन सही है अथवा नहीं, परिवादी से अतिरिक्त जानकारी और अभिलेख तथा संबंधित सेवा प्रदाता से जानकारी और अभिलेख की ईप्सा कर सकेगा।

(2) परिवादी और सेवा प्रदाता, उप-विनियम (1) के अधीन ईप्सित जानकारी और अभिलेख उसके पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(3) बोर्ड, परिवाद की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर इस संबंध में राय बनाएगा कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है अथवा नहीं।

(4) जहां उप-विनियम (3) के अधीन बोर्ड की यह राय है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान नहीं है वहां वह परिवाद को बन्द कर देगा और इसकी संसूचना परिवादी को देगा।

(5) यदि परिवादी उप-विनियम (4) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह ऐसे विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।

(6) बोर्ड, उप-विनियम (5) के अधीन पुनर्विलोकन का निपटारा, ऐसे आदेश द्वारा, जिसमें इस संबंध में राय दी गई हो कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है अथवा नहीं, पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर करेगा।

(7) जहां बोर्ड की इस विनियम के अधीन यह राय है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है वहां वह यथा-आवश्यक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन निरीक्षण का आदेश, विनियम 7 के उप-विनियम (2) के अधीन अन्वेषण का आदेश कर सकेगा या विनियम 11 के उप-विनियम (2) के अधीन कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा।

(8) जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा।

अध्याय 5

सांख्यिकी

8. बोर्ड, शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान के बारे में अपनी वेबसाइट पर कालिकतः संक्षिप्त सांख्यिकी प्रकट करेगा।

प्ररूप क

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन]

तारीख.....

सेवा में,

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

(यहां बोर्ड का पता लिखिए)

महोदय/महोदया,

विषय:[सेवा प्रदाता/सहयुक्त व्यक्ति का नाम] के विरुद्ध परिवाद

में एतद्वारा..... [सेवा प्रदाता/सहयुक्त व्यक्ति का नाम] के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करता हूं। इसका विवरण नीचे उपवर्णित है:

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
1	परिवादी का नाम	
2	परिवादी की पहचान	आधार सं./सी.आई.एन.
3	यदि परिवाद परिवादी की ओर से फाइल किया गया है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	
4	प्राधिकृत प्रतिनिधि की पहचान	आधार सं.
5	पत्र-व्यवहार के लिए परिवादी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का पूरा पता (ईमेल आई.डी. और फोन नं. सहित)	
6	उस सेवा प्रदाता/उसके सहयुक्त व्यक्तियों के नाम, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है	
7	सेवा प्रदाता की पहचान	आधार सं./सी.आई.एन.(यदि ज्ञात हो)
8	सेवा प्रदाता का पूरा पता (ईमेल आई.डी. और फोन नं. सहित)	
9	किसी सेवा प्रदाता या उसके किसी सहयुक्त व्यक्ति द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों	कृपया, यथास्थिति, सही-सही धारा, उपधारा, नियम, विनियम या खंड का उद्धरण दें।

	या बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों या निदेशों के अभिकथित उल्लंघन का विवरण ।	
10	सेवा प्रदाता या उसके सहयुक्त व्यक्तियों के अभिकथित आचरण या क्रियाकलाप का, ऐसे आचरण या क्रियाकलाप की तारीख और स्थान सहित विवरण, जिससे विधि के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है ।	कृपया विवरण दें ।
11	उस पीड़ा का विवरण, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, जो परिवादी को हुई है ।	
12	सेवा प्रदाता या उसके सहयुक्त व्यक्तियों के आचरण या क्रियाकलाप द्वारा परिवादी या किसी अन्य पणधारी को किस प्रकार पीड़ा कारित हुई ।	
13	अभिकथित उल्लंघन के समर्थन में साक्ष्य का विवरण ।	
14	क्या परिवादी को कोई शिकायत है? यदि हां तो उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है?	
15	क्या परिवाद के लिए वाद-हेतुक उत्पन्न होने के पैंतालीस दिनों के भीतर परिवाद फाइल किया जा रहा है? यदि नहीं, तो विलंब के कारणों को स्पष्ट करें ।	
16	क्या 2500/- रुपए की फीस का संदाय किया गया है?	हां/नहीं
17	परिवादी का खाता सं., जिसमें फीस का प्रतिदाय किया जा सकेगा ।	
18	क्या परिवादी अपनी पहचान को गोपनीय रखना चाहता है?	हां/नहीं
19	परिवाद के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची:	क. प्राधिकार-पत्र, यदि यह किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल किया गया है; ख. 2500/- रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट/बोर्ड के खाते में 2500/- रुपए जमा करने की आनलाइन अभिस्वीकृति ग. घ. ड.
20	परिवाद के समर्थन में कोई अन्य विवरण	

भवदीय

हस्ताक्षर

परिवादी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

सत्यापन

मैं..... परिवादी/परिवादी का प्राधिकृत प्रतिनिधि यह घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

आज तारीख.....20 को सत्यापित

हस्ताक्षर

परिवादी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

तारीख:

स्थान:

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./330/17(482)]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG/21.—In exercise of the powers conferred under sections 196, 217, read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following Regulations, namely :—

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title, commencement and application.**

- (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to grievances and complaints against service providers.

2. Definitions.

- (1) Unless the context otherwise requires-
 - (a) “aggrieved” means a stakeholder who has filed a grievance with the Board on failing to get his grievance redressed from the concerned service provider;
 - (b) “associated person” means a proprietor, partner, director, officer, or an employee of a service provider, a professional or a valuer engaged by a service provider or any other person acting for or on behalf of a service provider;
 - (c) “Board” means the Insolvency and Bankruptcy Board of India established under sub-section (1) of section 188 of the Code;
 - (d) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
 - (e) “complaint” means a written expression by a stakeholder alleging contravention of any provision of the Code or rules, regulations, or guidelines made thereunder or circulars or directions issued by the Board by a service provider or any of its associated persons and includes a complaint-cum-grievance;
 - (f) “complaint-cum-grievance” means a complaint and grievance in the same matter.
 - (g) “complainant” means a stakeholder who has filed a complaint or a complaint-cum-grievance with the Board;
 - (h) “grievance” means a written expression by a stakeholder of his suffering on account of conduct of a service provider or its associated persons;
 - (i) “service provider” means an insolvency professional agency, an insolvency professional, an insolvency professional entity or an information utility;
 - (j) “stakeholder” means a debtor, a creditor, a claimant, a service provider, a resolution applicant and any other person having an interest in the insolvency, liquidation, voluntary liquidation, or bankruptcy transaction under the Code.
- (2) The words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

CHAPTER II**FILING OF GRIEVANCE AND COMPLAINT****3. Filing of grievance and complaint.**

- (1) A stakeholder, who wishes to file a grievance, shall file it with the Board.
- (2) A grievance shall state:-

- (i) details of identity of the aggrieved;
 - (ii) details of identity of the service provider;
 - (iii) details of the conduct of the service provider that has caused the suffering to the aggrieved;
 - (iv) details of suffering, whether pecuniary or otherwise, the aggrieved has undergone;
 - (v) how the conduct of the service provider has caused the suffering of the aggrieved;
 - (vi) details of his efforts to get the grievance redressed from the service provider and why the response, if any, of the service provider is not satisfactory; and
 - (vii) how the grievance may be redressed.
- (3) A stakeholder, who wishes to file a complaint, shall file it with the Board in Form A along with a demand draft for two thousand and five hundred rupees drawn in favour of the Insolvency and Bankruptcy Board of India payable at New Delhi or an online acknowledgement of two thousand and five hundred rupees paid to the credit of the Board towards fee.
- (4) A grievance or a complaint, as the case may be, shall be filed within forty-five days of the occurrence of the cause of action for the grievance or the complaint:
Provided that a grievance or a complaint may be filed after the aforesaid period, if there are sufficient reasons justifying the delay, but such period shall not exceed 30 days.
- (5) A grievance or a complaint shall be filed with the Board online:
Provided that a grievance or complaint shall be filed by mail at complaintsandgrievances@ibbi.gov.in or by post or hand delivery at the Office of the Board, until the Board provides a facility for online filing of grievances and complaints.

4. Identity of the stakeholder.

- (1) A stakeholder filing a grievance, or a complaint shall disclose its identity in the grievance or the complaint, as the case may be, and also the identity of the authorised representative, who is authorised to file it.
- (2) A stakeholder filing a grievance or a complaint, as the case may be, may request the Board to keep its identity confidential and in that case the Board shall keep it confidential unless its disclosure is necessary for processing the grievance or complaint or under any law.

5. Registration number.

- (1) Where the Board is in receipt of more than one grievance or more than one complaint in the same matter, it may club such grievances or such complaints together for their disposal.
- (2) The Board shall assign a unique registration number to every grievance and every complaint and communicate the said registration number to the aggrieved or the complainant within a week of its receipt.
- (3) The Board shall not take any cognizance of any anonymous grievance or complaint.

CHAPTER III DISPOSAL OF GRIEVANCE

6. Disposal of grievance.

- (1) The Board may seek additional information and records from the aggrieved and information and records from the concerned service provider to decide if the grievance requires any redress by the service provider.
- (2) The aggrieved and the service provider shall submit the information and records sought under sub-regulation (1) within fifteen days thereof.
- (3) The Board shall close the grievance within forty-five days of its receipt if it does not require any redress.
- (4) The Board shall direct the service provider to redress the grievance within forty-five days of its receipt if it requires any redress.

CHAPTER IV
DISPOSAL OF COMPLAINT

7. Disposal of complaint.

- (1) The Board may seek additional information and records from the complainant and information and records from the concerned service provider to form a prima facie view whether the contravention alleged in the complaint is correct.
- (2) The complainant and the service provider shall submit the information and records sought under sub-regulation (1) within fifteen days thereof.
- (3) The Board shall form an opinion whether there exists a prima facie case within forty-five days of the receipt of the complaint.
- (4) The Board shall close the complaint where it is of the opinion under sub-regulation (3) that there does not exist a prima facie case and communicate the same to the complainant.
- (5) If the complainant is not satisfied with the decision of the Board under sub-regulation (4), he may request a review of such decision.
- (6) The Board shall dispose of the review under sub-regulation (5) within thirty days of the receipt of the request for review by an order with an opinion whether there exists a prima facie case.
- (7) Where the Board is of the opinion under this regulation that there exists a prima facie case, it may order an inspection under sub-regulation (3) of regulation 3, order an investigation under sub-regulation (2) of regulation 7 or issue a show cause notice under sub-regulation (2) of regulation 11 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, as may be warranted.
- (8) Where the Board is of the opinion that the complaint is not frivolous, it shall refund the fee of two thousand five hundred rupees received under sub-regulation (3) of regulation 3.

CHAPTER V
STATISTICS

8. The Board shall periodically disclose summary statistics about receipt and disposal of grievances and complaints on its web site.

Form A

[Under sub-regulation (3) of regulation (3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017]

Date

To

Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Write here the address of the Board)

Dear Madam / Sir,

Subject: Complaint against [name of the service provider / associated person]

I, hereby submit a complaint against [name of the service provider / associated person]. The details of the same are set out as under:

Sl. No.	Particulars	Description
1	Name of the complainant	
2	Identity of the complainant	Aadhaar No / CIN
3	Name of the authorised representative, if complaint is filed on behalf of the complainant	

4	Identity of the authorised representative	Aadhaar No.
5	Complete address for correspondence with complainant / authorised representative: (Along with Email ID & Phone No.)	
6	Name of the service provider / its associated persons complained against	
7	Identity of the service provider	Aadhaar No / CIN (If known)
8	Complete address of the service provider (Along with Email ID & Phone No)	
9	Details of the alleged contravention of any provision of the Code or rules, regulations, or guidelines made thereunder or circulars or directions issued by the Board by a service provider or its associated persons.	Please quote the exact section, sub-section, rules, regulation, or clause, as the case may be.
10	Details of alleged conduct or activity of the service provider or its associated persons, along with date and place of such conduct or activity, which contravenes the provision of the law.	Please narrate details.
11	Details of suffering, whether pecuniary or otherwise, the complainant has undergone.	
12	How the conduct or activity of the service provider or its associated persons has caused the suffering of the complainant or to any other stakeholder.	
13	Details of evidence in support of alleged contravention.	
14	Does the complainant have a grievance? If so, how it may be redressed?	
15	Is complaint being filed within forty-five days of the occurrence of the cause of action for the complaint? If not explain the reasons for delay.	
16	Whether the fee of Rs.2500 has been paid	Yes / No
17	The Bank account No. and details of the complainant to which the fee can be refunded	
18	Whether the complainant wishes to keep its identity confidential	Yes / No.
19	List of documents attached in support of the complaint:	a. Authorisation, if it is filed by an authorised representative; b. Demand draft for Rs.2500 / Online acknowledgement of credit of Rs.2500 to the account of the Board; c. d. . . m. n.

20	Any other details in support of the complaint.	
----	--	--

Yours faithfully

Signature

Name of the Complainant / Authorised Representative

Verification

I,, the complainant / authorised representative of the complainant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified today, the day of, 20xx, at

Signature

Name of the Complainant / Authorised Representative

Date:

Place:

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./330/17/(482)]